न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-185Jodhpur2022-106 Mansingh Vs Girdhariram etc

मानसिंह उर्फ भाऊलाल पुत्र खेमाराम जाति माली, निवासी- ग्राम कोटडा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. गिरधारीराम पुत्र रूगनाथराम, जाति माली, निवासी- ग्राम कोटडा तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2022 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 17/2022 मानसिंह बनाम गिरधारीराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री किशनाराम विश्नोई अधिवक्ता-अपीलाण्ट

रेस्पोडेंट संख्या एक व उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित।

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2

नि र्ण य

दिनांक : 13 फरवरी 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 17/2022 मानसिंह बनाम गिरधारीराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2022 के खिलाफ आलोच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 13 मई 2022 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 140/1 रकबा 1.4892 हैक्टेयर ग्राम् कोटडा तहसील तिंवरी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2022 के जरिये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रसत भूमि के निर्माण पर रोक नहीं लगाने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुकर्रर तारीख पेशी दिनांक 20.03.2022 को कांट-छांट कर दिनांक 29.03.2022 कर दी गई, जिसकी सूचना अपीलांट को नही दी गई तथा तारीख पेशी दिनांक 29.03.2022 व तारीख पेशी दिनांक 19.04.2022 को एक साथ एक दिन में लिखकर आदेश पारित कर दिया जो विधि विधान के विपरीत होने के कारण निरस्त करने योग्य है। अपीलांट को अंधेरे में रखकर अपीलांट को बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर आदेश पारित किया गया है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्वीकार किया है कि अपीलांट व रेस्पोंडेंट के खसरे अलग-अलग है तथा रास्ता चलता है, अगर माप में कमी बैसी हो तो कमी बैसी भूमि की दुरुस्ती करवाने हेतु पत्थर गढी करने की हिदायत दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेज व प्रभाव के बाहर जाकर पत्थरगढी करवाने के निर्देश देते हुए आदेश पारित किया है। इससे साफ जाहिर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा येन- केन प्रकारेण स्थगन आदेश निरस्त ही करना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा करने की अपने आदेश में छूट दी गई और आदेश पारित कर दिया गया जो विधि विधान व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में किसी भी इनग्रीडियेंट पर विचार नहीं किया गया और न ही किसी एक इनग्रीडियेंट को तय किया गया, केवल हिदायत देकर स्थगन आदेश तथा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2022 को निरस्त फरमाया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट के खातेदारी खसरा नं. 140/1 एवं रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी खसरा नं. 140 पृथक-पृथक तरमीम से आबद्ध खसरान् है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाबदावा एवं साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार उक्त दोनो खसरान् के मध्य रास्ता चलता है, जिससे दोनो खसरान् के मध्य दखलंदाजी प्रथमदृष्टया संभव नहीं है। जहां तक अपीलांट का उज्र है कि रेस्पोडेंट द्वारा मौके पर पत्थर एवं निर्माण सामग्री डाल कर दखलंदाजी की जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में रेस्पोडेंट गिरधारी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के मुताबिक **''रेस्पोडेंट संख्या एक के मकान एवं अपीलांट के खेत के मध्य रास्ता अवस्थित होना तथा रास्ते**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर यदि कोई निर्माण सामग्री/पत्थर है तो रेस्पोडेंट गिरधारी न तो उनका मालिक एवं स्वामी है तथा न ही उनसे रेस्पोडेंट का कोई वास्ता है।'' गिरधारी स्वयं ने शपथ-पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के खेत खसरा नं. 140/1 में कोई निर्माण सामग्री नहीं डाली है एवं न ही कोई रास्ता रोका है। लिहाजा गिरधारी को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना करनी है, अर्थात वह खसरा नं. 140/1 में वह कोई निर्माण कार्य नहीं करे। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में नहीं पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाया जाता है। लिहाजा उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 17/2022 मानसिंह बनाम गिरधारीराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2022 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दि॰ 13.2.2023.

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर